न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

रैयती अपील वाद संख्या–14/2017–18

सूर्यनंदन सिंह एवं अन्य बनाम राज्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
25/9/18	**आदेश** यह अपील बकास्त/गैरमजरूआ मालिक भूमि रैयती अभिलेख सं0 09के0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 08.11.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल की गयी है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि बिहटा अंचल अंतर्गत मौजा कुतुलपुर थाना नं0 56, खाता नं0 443 खेसरा नं0 2033 रकवा 23डी0 सर्वे खतियान में बकास्त मालिक दर्ज है। अपीलार्थी के पिता स्व0 नथुनी सिंह के द्वारा वर्ष 1967 एवं 1968 के दो केवालों से प्रश्नगत खाता, खेसरा की कुल $21\frac{1}{2}$डी0 भूमि भूतपूर्व मध्यवर्ती के उतराधिकारी से खरीदी गयी थी। वर्ष 1967 के केवाला से 8डी0 जमीन शिवधारी राय से खरीदी गयी थी, जबकि वर्ष 1968 के केवाला से राम किशुन सिंह एवं रामप्रीत सिंह से $11\frac{1}{2}$डी0 भूखण्ड की खरीद की गयी। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपीलार्थी के रैयती दावा को अस्वीकृत कर दिया गया, जबकि वाद सं0 04के0/2017–18 अन्तर्गत इसी खाता सं0 443 खेसरा सं0 1988 रकवा 30डी0 जमीन कुसुम कुमारी के पक्ष में रैयती घोषित कर दी गयी। कुसुम कुमारी के द्वारा वर्ष 1959 के केवाला से उक्त भूखण्ड खरीदी गयी थी। कुसुम कुमारी के विक्रेता भी राम किशुन सिंह एवं रामप्रीत सिंह है। अपीलार्थी के द्वारा वाद सं0 9के0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 08.11.2017 को पारित आदेश को अवैध बताते हुए निरस्त करने का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार की तरफ से सहायक सरकारी अधिवक्ता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के आदेश को उचित एवं विधि–सम्मत बताते हुए अपील को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।	

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते हैं।

(1) वाद सं0 09के0/2017–18 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा अपीलार्थी के दावे को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि अपीलार्थी के पिता को भूतपूर्व मध्यवर्ती के उतराधिकारी के द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया है।

(2) अपीलार्थी के द्वारा वाद सं0 04के0/2017–18 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक 08.11.2017 को पारित आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी है। उक्त वाद में खाता सं0 443 खेसरा सं0 1988 रकवा 30डी0 को इस आधार पर रैयती घोषित किया गया है कि आवेदिका कुसुम कुमारी के द्वारा दाखिल 1959 का वसीका में बिक्रेता राम किशुन सिंह, रामप्रीत सिंह वो रामक्रीत सिंह है, जो भूतपूर्व मध्यवर्ती के उतराधिकारी है।

(3) अपीलार्थी के द्वारा दाखिल दिनांक 18.03.1968 के केवाला की छाया प्रति एवं उनके हिन्दी अनुवाद की छाया–प्रति से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विक्रेता भी राम किशुन सिंह वो रामप्रीत सिंह है।

उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के मामले में ~~अनेक~~ उन्के बिक्रेता को भूतपूर्व मध्यवर्ती का उतराधिकारी नहीं माना गया, जबकि वाद सं0 04के0/2017–18 में उन्हीं बिक्रेताओं को भूतपूर्व मध्यवर्ती का उतराधिकारी मानते हुए जमीन को रैयती घोषित कर दिया गया।

अतः वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को प्रतिप्रेषित (Remand) करते हुए निदेशित किया जाता है कि वे पुनः तथ्यों एवं साक्ष्यों की जांच कर विधि सम्मत आदेश पारित करें।

निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

35/9/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

35/9/18

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना